क्रम-संख्या-394

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–डब्लू०/एन०पी०–91/2008–10

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 29 अगस्त, 2008

भाद्रपद 7, 1930 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1693/79-वि-1–08-1(क)-17-2008

लखनऊ, 29 अगस्त, 2008

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 पर दिनांक 28 अगस्त, 2008 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2008 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) अधिनियम, 2008

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2008)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 और उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) अधिनियम, 2008 कहा जायेगा।

अध्याय-दो

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 की धारा 2 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में,-

(क) खण्ड (झ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

(झ-एक) "इथेनाल" का तात्पर्य सीधे गन्ने के रस से या ख-भारी शीरे या दोनों से उत्पादित न्यूनतम 99 प्रतिशत शक्ति का एनहाइड्रस इथाईल अल्कोहल से है;

स्पष्टीकरण-जब कोई शक्कर कारखाना सीधे गन्ने के रस या ख-भारी शीरे से इथेनाल का उत्पादन करता है, तो ऐसी चीनी फैक्ट्री के मामले में वसूली की दर का निर्धारण इस प्रकार उत्पादित प्रत्येक छह सौ लीटर इथेनाल को एक टन शक्कर के उत्पादन के बराबर विचार करके किया जायेगा।

(ख) खण्ड (ञ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

"(ञ) 'फैक्ट्री' का तात्पर्य ऐसे गृहादि से है जिसके अन्तर्गत उसके अहाते भी हैं, जिसमें बीस या बीस से अधिक श्रमिक काम करते हों या पिछले बारह महीने में किसी दिन काम किये हों और जिसके किसी भाग में शक्कर के उत्पादन से सम्बद्ध विनिर्माण प्रक्रिया निर्वात कड़ाह प्रक्रिया द्वारा होती हो या इथेनाल की विनिर्माण प्रक्रिया यथास्थिति, सीधे गन्ने के रस से या शीरे से, जिसके अन्तर्गत ख-भारी शीरा भी है या दोनों से हो रही हो या सामान्यतः यन्त्रचालित शक्ति द्वारा होती हो।"

धारा 17 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 17 में, उपधारा (5) में खण्ड (क) में शब्द "शक्कर की प्रतिभूति पर" के स्थान पर शब्द "शक्कर या इथेनाल (सीधे गन्ने के रस या ख-भारी शीरे से उत्पादित) की प्रतिभूति पर" रख दिये जायेंगे।

अध्याय-तीन

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 1961 की धारा 3-क का संशोधन

4-उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961, जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3-क में,—

(क) उपधारा (1) में, प्रथम एवं द्वितीय परन्तुक में शब्द "शक्कर", जहाँ कहीं भी आये हों के स्थान पर शब्द "शक्कर या इथेनाल (सीधे गन्ने के रस से या ख-भारी शीरे से उत्पादित)" रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (2) में, शब्द "प्रति बोरी शक्कर" जहाँ कहीं भी आये हों के स्थान पर शब्द "प्रति बोरी शक्कर या प्रति साठ लीटर इथेनाल (सीधे गन्ने के रस से या ख-भारी शीरे से उत्पादित)" रख दिये जायेंगे।

(ग) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात् :-

"(3) यथास्थिति, पेराई मौसम की समाप्ति पर या पेराई मौसम हेतु कारखाना के बन्द होने के तुरन्त पश्चात् कर निर्धारण प्राधिकारी चालू पेराई मौसम के दौरान फैक्ट्री हेतु

क्रय किये गये गन्ने, और फैक्ट्री में उत्पादित शक्कर या इथेनाल (सीधे गन्ने के रस से या ख-भारी शीरे से उत्पादित) की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुये प्रति बोरी शक्कर या प्रति 60 लीटर इथेनाल (सीधे गन्ने के रस से या ख-भारी शीरे से उत्पादित) के पुनरीक्षित भुगतान की दर की गणना करेगा और उसे विनिर्दिष्ट करेगा, और जहां ऐसे पुनरीक्षण के आधार पर दर में कमी या वृद्धि की जाती है, वहां यथास्थिति अधिक भुगतान की गयी या कमी को उक्त शक्कर या इथेनाल (सीधे गन्ने के रस से या ख-भारी शीरे से उत्पादित) के अवशेष स्टॉक पर विस्तारित कर दिया जाएगा, और शक्कर या इथेनाल (सीधे गन्ने के रस से या ख-भारी शीरा से उत्पादित) के प्रत्येक ऐसे अवशिष्ट बोरी को हटाये जाने के पूर्व संदत्त की जाने वाली धनराशि को तदनुसार पुनःनियत किया जाएगा, और यदि ऐसी कोई शक्कर या इथेनाल स्टाक में अवशेष न रह जाय तो स्वामी, यथास्थिति, किसी अतिशेष की वापसी या भुगतान करने का, हकदार होगा।"

(घ) उपधारा (4) में, शब्द "शक्कर" जहाँ कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "शक्कर या इथेनाल (सीधे गन्ने के रस से या ख-भारी शीरे से उत्पादित)" रख दिये जाएंगे।

(ङ) उपधारा (5) में, खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थातः-

"(ख) उस धारा की उपधारा (4) इस उपान्तरण के साथ लागू होगी कि जहाँ कर निर्धारण प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी फैक्ट्री के स्वामी ने इस धारा के उपबंध के उल्लंघन में किसी शक्कर या इथेनाल (सीधे गन्ने के रस से या ख-भारी शीरे से उत्पादित) को हटा लिया है या हटवा दिया है या फैक्ट्री में उत्पादित शक्कर या इथेनाल (सीधे गन्ने के रस से या ख-भारी शीरे से उत्पादित) का पूर्ण हिसाब देने में विफल हो गया है या उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक के अधीन उसके द्वारा जमा कर दिया गया है तो कर भुगतान का दायी व्यक्ति, इस प्रकार हटायी गयी या अगणनीय चीनी या इथेनाल (सीधे गन्ने के रस से या ख-भारी शीरे से उत्पादित) की मात्रा के सम्बंध में उपधारा (1) के अधीन संदेय धनराशि के अतिरिक्त, शास्ति स्वरूप, इस प्रकार संदेय धनराशि के अनधिक एक सौ प्रतिशत अग्रतर धनराशि का भुगतान करने का भी दायी होगा।"

धारा 8 का संशोधन.

5-मूल अधिनियम की धारा 8 में, परन्तुक में, शब्द "शक्कर" के स्थान पर शब्द "शक्कर या इथेनाल (सीधे गन्ने के रस से या ख-भारी शीरे से उत्पादित)" रख दिये जाएंगे।

उद्देश्य और कारण

विश्व के कई देश पेट्रोल में इथेनाल का सफलतापूर्वक मिश्रण कर रहे हैं। भारत सरकार ने पेट्रोल में 5 प्रतिशत इथेनाल का मिश्रण किया जाना अनिवार्य किया है। प्रयोगों एवं शोधों के दौरान यह सिद्ध हो गया है कि पेट्रोल में लगभग 25 प्रतिशत तक इथेनाल सफलता पूर्वक मिलाया जा सकता है। इथेनाल की उपलब्धता में वृद्धि करने की दृष्टि से भारत सरकार ने गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 को संशोधित करके चीनी मिलों को सीधे गन्ने के रस से या ख-भारी शीरा से इथेनाल उत्पन्न करने की अनुमति दे दी है।

यद्यपि उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में एक अग्रणी प्रदेश है तथापि बहुत सी चीनी मिलें गन्ना मूल्य का ससमय भुगतान नहीं कर सकीं जिससे गन्ना उत्पादक आक्रामक होते रहे। उपर्युक्त परिस्थितियों में यह आवश्यक हो गया है कि प्रदेश की चीनी मिलों को सीधे गन्ने के रस से या ख-भारी शीरा से इथेनाल उत्पन्न करने की

अनुमति प्रदान करके उनकी आर्थिक दशा में सुधार लाया जाय जिससे वे गन्ना मूल्य का ससमय भुगतान करने में सक्षम हो सकें।

अतएव, यह विनिश्चय किया गया है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 और उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961 को संशोधित करके प्रदेश की चीनी मिलों को सीधे गन्ने के रस से या ख-भारी शीरा से इथेनाल उत्पन्न करने के लिए प्राधिकृत करने की व्यवस्था की जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
सै0 मजहर अब्बास आब्दी,
प्रमुख सचिव।

No. 1693(2)/LXXIX-V-1-08-1(Ka)-17-2008
Dated Lucknow, August 29, 2008

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Ganna Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2008 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 23 of 2008) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 27, 2008.

THE UTTAR PRADESH SUGARCANE LAWS (AMENDMENT) ACT, 2008

(U.P. ACT NO. 23 OF 2008)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953 and the Uttar Pradesh Sugarcane (Purchase Tax) Act, 1961.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-ninth Year of the Republic of India as follows :-

CHAPTER-I

Preliminary

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Sugarcane Laws (Amendment) Act, 2008.

CHAPTER-II

Amendment of the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 24 of 1953

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953 hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act,—

(a) after clause (i) the following clause shall be *inserted*, namely :-

(i-i) "Ethanol" means anhydrous ethyl alcohol of minimum 99 percentage strength, produced directly either from sugarcane juice or B-Heavy molasses or both.

Explanation :— When a sugar factory produces ethanol directly from sugarcane juice of B-Heavy molasses, the recovery rate in case of such sugar factory shall be determined by considering every six hundred litres of ethanol so produced as equivalent to one ton production of sugar.

(b) *for* clause (j) the following clause shall be *substituted*, namely :–

"(j) 'Factory' means any premises including the precincts thereof wherein twenty or more workers are working or on any day during the preceding twelve months and in any part of which any manufacturing process connected with the production of sugar by means of vaccum pan process or ethanol either directly from sugarcane juice or molasses, including B-Heavy molasses, or both as the case may be, is being carried on or is ordinarily carried on with the aid of mechanical power."

Amendment of section 17

3. In section 17 of the principal Act in sub-section (5), in clause (a) *for* the words "on the security of sugar" the words "on the security of sugar or ethanol (directly produced from the sugarcane juice or B-Heavy molasses)" shall be *substituted*.

CHAPTER-III

Amendment of the Uttar Pradesh Sugarcane (Purchase Tax) Act, 1961

Amendment of section 3-A of U.P. Act no. 9 of 1961

4. In section 3-A of the Uttar Pradesh Sugarcane (Purchase Tax) Act, 1961, hereinafter in this chapter referred to as the principal Act,–

(a) in sub-section (1), in the first and second provisos for the word "sugar" wherever occurring the words "sugar or ethanol (directly produced from the sugarcane Juice or B-Heavy molasses)" shall be *substituted*.

(b) in sub-section (2) *for* the words "per bag of sugar" wherever occurring, the words "per bag of sugar or per sixty litres of ethanol (directly produced from the sugarcane juice or B-Heavy molasses)" shall be *substituted*.

(c) for sub-section (3) the following sub-section shall be *substituted*, namely :–

"(3) At the end of crushing season or as the case may be, immediately after the closure of the factory for the crushing season the assessing authority shall workout and specify a revised rate of payment per bag of sugar or per 60 liters of ethanol (directly produced from the sugarcane juice or B-Heavy molasses) by taking into account the quantity of sugarcane purchased for the factory and the sugar or ethanol (directly produced from the sugarcane juice or B-Heavy molasses) produced in the factory during the current crushing season, and where the rate is reduced or increased on such revision, the excess paid or the shortfall, as the case may be, shall be spread over the remaining stock of the said sugar or ethanol (directly produced from the sugarcane juice or B-Heavy molasses), and the amount to be paid before removal of each such remaining bag of sugar or ethanol (directly produced form the sugarcane juice or B-Heavy molasses) be refixed accordingly, and if no such sugar or ethnol remains in stock then the owner shall be entitled to a refund or pay the balance, as the case may be."

(d) in sub-section (4) *for* the word "sugar" wherever occurring, the words "sugar or ethanol (directly produced from the sugarcane juice or B-Heavy molasses)" shall be *substituted.*

(e) in sub-section (5) *for* clause (b) the following clause shall be *substituted*, namely :–

"(b) sub-section (4) of that section shall apply with the modification that where the assessing authority is satisfied that the owner of a factory has removed or caused to be removed any sugar or ethanol (directly produced from the sugarcane juice or B-Heavy molasses) in contravention of the provision of this section or has failed to account fully for the sugar produced or ethanol (directly produced from the sugarcane Juice or B-Heavy molasses) in the factory or deposited by him under the first proviso to sub-section (1) the person liable to pay the tax shall in addition to the amount payable under sub-section (1) in respect of the quantity of sugar or ethanol (directly produced from the sugarcane juice or B-Heavy molasses) so removed or unaccounted for, be also liable to pay by way of penalty a further sub not exceeding one hundred percent of the sub so payable."

Amendment of section 8

5. In section 8 of the principal Act, in the proviso *for* the words "any sugar" the words "any sugar or ethanol (directly produced from the sugarcane juice or B-Heavy molasses)" shall be *substituted.*

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Several Countries of the world are successfully blending ethanol in Petrol. The Government of India has made 5% ethanol blending in petrol. During experiments and researches it has been proved that approximately 25% of ethanol can successfully be blended in petrol. With a view to increasing the availability of ethanol, the Government of India has amended the Cane (Control) Order, 1966 and thereby permitted the sugar factories to produce ethanol directly from sugarcane juice or B-Heavy molasses.

The Uttar Pradesh is a prominent State in producing sugarcane and sugar, even though several sugar factories could not make payment of cane price timely which makes cane growers aggressive. Under the above circumstances it has become necessary to permit the sugar factories of the State to produce ethanol directly from sugarcane juice or B-Heavy molasses to improve economic condition thereof so that they may become enable to make payment of cane price timely.

It has therefore, been decided to amend the Uttar Pradesh Cane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953 and the Uttar Pradesh Sugarcane (Purchase Tax) Act, 1961 to provide for authorising sugar factories in the State to produce ethanol directly from sugarcane Juice or B-Heavy molasses.

The Uttar Pradesh Sugarcane Laws (Amendment) Bill, 2008 is introduced accordingly.

By order,
S.M.A. ABIDI,
Pramukh Sachiv.

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 476 राजपत्र (हि0)–(1051)–2008–597 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 107 सा विधायी–(1052)–2008–850 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / आफसेट)।